भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1560
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दमण और दीव में 'दिशा' समिति की बैठकें

1560. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से दमण और दीव जिले में जिलास्तरीय दिशा समितियों की बैठकों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष में जिलास्तरीय दिशा समितियों की कितनी बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी होती हैं;

(ग) अपेक्षित न्यूनतम संख्या में उक्त बैठकें आयोजित करने में विफल रहने की स्थिति में जिला प्रशासन के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है;

(घ) दोनों जिलों में बैठकें किस तिथि, यदि कोई हो, को आयोजित की गईं;

(ङ) क्या उक्त बैठकों के कार्यवृत्त और सारांश साझा किए गए हैं और यदि हाँ , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिशानिर्देशों के अनुसार बैठकों के कार्यवृत्त और सारांश कब तक साझा किया जाना अपेक्षित होता है, साथ ही तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (घ) 18वीं लोकसभा के गठन के बाद , 8 अगस्त, 2024 को दमन और दीव ज़िलों सहित देश भर के सभी ज़िलों में 18वीं लोकसभा के सदस्यों वाली ज़िला स्तरीय दिशा समितियों (ज़ि. स्त. दि. स.) का पुनर्गठन किया गया। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से दमन और दीव ज़िलों में आयोजित ज़ि. स्त. दि. स. बैठकों का ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिलों का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों के आयोजन की तिथि
1	दमन	1	13.05.2025
2	दीव	1	30.05.2025

(ख) और (ग) दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार , ज़िला स्तरीय दिशा समितियों की बैठकें माननीय सांसदों/विधायकों और दिशा समिति के अन्य सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना देने के बाद , प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए। वर्ष के दौरान कम से कम 4 बैठकें आयोजित की जानी हैं। हालाँकि , यदि अध्यक्ष चाहें, तो बैठकों की संख्या चार से अधिक भी हो सकती है।

दिशा के विशेष महत्व को समझते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रा. वि. मं.) यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि ये बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएँ। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित सदस्य सचिवों (जिला कलेक्टरों , मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि जिला स्तरीय दिशा बैठकें दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएँ। माननीय सांसदों से भी समय-समय पर अपने-अपने जिलों में नियमित रूप से दिशा बैठकें आयोजित करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) और (च) दिशा के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशा बैठकों की कार्यवाही बैठक के 10 दिनों के भीतर जारी की जानी चाहिए और इसे तुरंत 'मीटिंग रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://erp.disha.gov.in), जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिशा के संचालन में सहायता के लिए विकसित एक पोर्टल है , पर अपलोड किया जाना चाहिए। दमन और दीव जिलों में आयोजित दिशा बैठकों की कार्यवाही अभी तक 'मीटिंग रिपोर्टिंग पोर्टल' पर अपलोड नहीं की गई है।